संख्याः-2163/सोलह-1-2019-9(बजट-11)/2011

प्रेषक,

डा० सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 02 अगस्त, 2019

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेडेड छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-648/मैंटेन/19 दिनांक 21.02.2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेडेड छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित आगणन रू 1055.20 लाख उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-3493/सोलह-1-2014-9(बजट-11)/2011 दिनांक 28.11.2014 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू 880.25 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पूर्व पुनरीक्षित लागत रू 880.25 लाख के स्थान पर रू 1031.38 लाख+(जी०एस०टी० वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की लागत को पुनः पुनरीक्षित किया गया है, अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेडेड छात्रावास के निर्माण हेतु रू 1031.38 लाख (रूपये दस करोड़ एकतीस लाख अड़तीस हजार मात्र)+(जी०एस०टी० वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अंतर की अवशेष धनराशि रू 151.18 लाख में से 5 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए अनुदान संख्या-47 में से रू 79.66 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रू 19.90 लाख अर्थात कुल रू 99.56 लाख (रू निन्यानबे लाख छप्पन हजार मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य में व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(6) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

(7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(8) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जायेगा, भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावर्णीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) प्रश्नगत धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।

(14) प्रायोजना में प्रस्तावित जी०एस०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(15) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(15) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।

(16) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि में से रू 79.66 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रू 19.90 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-693/दस-2019 दिनांक 31 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० सरोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्याः-2163/सोलह-1-2019-9(बजट-11)/2011 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(6) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई-20, कानपुर।
(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

[illegible]

प्रेषक,

डा० सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त, 2019

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/कैम्प कार्यालय के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-124/मेंटेन.सी./18 दिनांक 01.08.2018, पत्रांक-401/अनुरक्षण/पूंजीगत मांग/2018 दिनांक 30.10.2018 एवं पत्रांक-219/मेंटेन/19 दिनांक 08.07.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/कैम्प कार्यालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रेषित आगणन रु॰ 218.05 लाख (जी॰एस॰टी॰ वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में अनुदान संख्या-47 में से रु॰ 87.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रु॰ 22.00 लाख अर्थात कुल रु॰ 109.00 लाख (रु॰ एक करोड़ नौ लाख मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य में व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(6) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

(7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

[illegible] दी गयी धनराशि [illegible] 30 [illegible] [illegible] [illegible] पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करने दी जाये।

(8) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को अनुमोदित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं स्वीकृतियाँ/क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) प्रश्नगत धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।

(14) परियोजना में प्रस्तावित जी०एस०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(15) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(16) परियोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।

(17) परियोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नया कार्य जोड़ना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना आदि [illegible] स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।

(18) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से रु 87.00 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रु 22.00 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2019/बी-1-70/दस-2019/231/2015 दिनांक 22.03.2019 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(डा० सरोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: ...(1)/2504/सोलह-1-2019-9(बजट-3)/...5 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(6) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई 10, कानपुर।
(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 249 /सोलह-1-2020-9(बजट-3)/2018

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2020

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-194/अनु0/2019 दिनांक 01.07.2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के अवशेष निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में रू 30.75 लाख एवं राज्यांश के रूप में रू 332.50 लाख अर्थात कुल रू 363.25 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरसठ लाख पच्चीस हजार) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य में व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(6) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

2..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की [illegible]

(7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(8) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) प्रश्नगत धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(13) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी०एस०टी० की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

(14) प्रायोजना निर्माण कार्य ए०आई०सी०टी०ई० के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) स्वीकृत धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा।

3. स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-48/दस-2020 दिनांक 21 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव,

3...

संख्याः- 249 /सोलह-1-2020-9(बजट-3)/2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।
(3) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ०प्र०, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
(6) जिलाधिकारी, कानपुर।
(7) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
(9) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
(10) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
(11) श्री पी०सी० जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य मुख्यालय, कानपुर।
(12) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
(13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(14) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

संख्याः-19/सोलह-1-2020-09(बजट-7)/2011

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2020

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-323/Maint 'C'/18 दिनांक 25.09.2018 व पत्रांक-554/Maint/19 दिनांक 30.12.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु **रू0 392.51 लाख** (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष **प्रथम किश्त** के रूप में धनराशि **रू0 196.51 लाख** (रूपये एक करोड़ छियानबे लाख इक्यावन हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

(4) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जाय।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट हो लेंगे।

(13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से रू0 **156.51 लाख** व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं रू0 **40.00 लाख** अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-19/सोलह-1-2020-09(बजट-7)/2011 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
(7) परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, ईकाई, कानपुर।
(8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानुपर।
(12) निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

संख्याः-206/सोलह-1-2020-09(बजट-3)/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2020

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में पुराने पुस्तकालय भवन को उच्चीकृत कर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का निर्माण करने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 08.07.2019 व पत्रांक-566/Maint/19 दिनांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में पुराने पुस्तकालय भवन को उच्चीकृत कर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत **रू0 120.53 लाख** (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि **रू0 120.53 लाख** (रूपये एक करोड़ बीस लाख तिरपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जाय।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्ययः प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट हो लेंगे।

(13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से रू0 **95.53 लाख** का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं रू0 **25.00 लाख** का व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव

संख्या:-206(1) /सोलह-1-2020-09(बजट-3)/2020तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
(12) निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-276सोलह-1-2020-09(बजट-1)/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2020

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटेड महिला छात्रावास के मेस ब्लाक एवं कॉमन रूम के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 08.07.2019 व पत्रांक-566/Maint/19 दिनांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटेड छात्रावास के मेस ब्लाक एवं कॉमन रूम के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत **रू0 161.58 लाख** (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि **रू0 161.58 लाख** (रूपये एक करोड़ इकसठ लाख अठ्ठावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

(4) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जाय।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट हो लेंगे।

(13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान नहीं किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से रु0 **128.48 लाख** का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं रु0 **33.10 लाख** का व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य/मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-276(1)/सोलह-1-2020-09(बजट-1)/2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
(8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानुपर।
(12) निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-275/सोलह-1-2020-09(बजट-2)/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2020

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 08.07.2019 व पत्रांक-566/Maint/19 दिनांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत **रू0 176.07 लाख** (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि **रू0 176.07 लाख** (रूपये एक करोड़ छिहत्तर लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

(4) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जाय।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विशिष्टियों से संतुष्ट हो लेंगे।

(13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियों का प्रविधान नहीं किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से रु0 **139.07 लाख** के व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं रु0 **37.00 लाख** के व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः-275(1)/सोलह-1-2020-09(बजट-2)/2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानुपर।
(12) निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलैक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।